न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 35–तीन/1990 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–1989 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 121/1984–85 अपील

आशाराम पुत्र लच्छू निवासी ग्राम उन्नाव
तहसील दतिया जिला दतिया, मध्यप्रदेश ––आवेदक

विरूद्ध

1– नारायण 2– भगवान सिंह दोनों
पुत्रगण धीरज सिंह उर्फ भज्जी
3– डब्बू पुत्र सरू यादव तीनों ग्राम उन्नाव
तहसील दतिया जिला दतिया, मध्यप्रदेश —— अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 07 – 12 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 121/1984–85 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–10–1989 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र–1 एंव 2 ने नायव तहसीलदार उन्नाव को आवेदन देकर बताया कि ग्राम झालमउ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 143, 144, 145, 146 , 149 कुल किता 5 कुल रकबा 7–06 डि. की उनके पूर्व हिताधिकारी मृत पिता धीर सिंह यादव, आशाराम और डब्बू के पिता सरू की ओर से लगान अदा

कर 25 वर्ष से खेती करते आ रहे है इसलिये उन्हें भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं राजस्व अभिलेख में उनके नाम का इन्द्राज कराया जावे। नायव तहसीलदार वृत्त उन्नाव ने प्रकरण क्रमांक 1/76-77 अ-46 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 15-11-79 पारित करके अनावेदक क्र-1 एंव 2 का आवेदन स्वीकार कर लिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधकारी, दतिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी दतिया ने प्रकरण क्रमांक 18/1979-80 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-11-80 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 57/80-81 अपील में पारित आदेश दिनांक 24 मार्च, 1983 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये । अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने राजस्व मण्डल , मध्य प्रदेश ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की। तत्का. सदस्य , राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 37-छः/1983 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 19-11-1984 से निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 24 मार्च, 1983 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया।

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण में पुर्नसुनवाई की तथा प्रकरण क्रमांक 121/1984-85 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-10-1989 से अनुविभागीय अधिकारी एंव तहसील न्यायालय के आदेशों को यथावत् रखते हुये अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त उन्नवाव तहसील दतिया ने अनावेदक क्र-1 एंव 2 व्दारा म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190 /110 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर स्वीकार किया है कि दावाकर्ताओं का संबत 2013 से निरन्तर कब्जा चले आना, लगान अदा करते रहने की रसीदें एक्जी. पी-1 एंव पी-2 से दावा प्रमाणित पाया गया है इसी प्रकार मौखिक साक्ष्यी-गण के कथनों भी तदायश की पुष्टि हुई है । अनुविभागीय अधिकारी दतिया के

समक्ष अपील में सुनवाई के दौरान तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक स्वयं् के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी दतिया ने आदेश दिनांक 29-11-80 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 30-10-1989 पारित करते समय नायव तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 121/ 84-85 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-10-1989 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर